छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा पंचम सत्र अंक-16

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 20 मार्च, 2025

(फाल्गुन 29, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या- 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12 (कुल 10) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

तारांकित प्रश्न संख्या क्रमश: 02 एवं 09 के क्रमश: प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्रीमती अनिला भेंड़िया एवं श्री देवेन्द्र यादव अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 31 तारांकित एवं 51 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार बजट अनुमान वर्ष 2024-2025 के संदर्भ में तृतीय तिमाही की आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा,

(2) श्री केदार कश्यप, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य

हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024, तथा

(3) श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (क्रमांक 4 सन् 2006) की धारा 36 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2009 के नियम 20 के उप नियम (3) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024,

पटल पर रखे।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) डॉ. चरणदास महंत, सदस्य ने लोक जैव विविधता पंजी तैयार नहीं करने तथा वेटलैंड स्थलों पर अपेक्षित कार्य नहीं होने की ओर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री केदार कश्यप, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री नीलकंठ टेकाम, सदस्य ने बस्तर एवं सरगुजा के ग्रामीण क्षेत्रों में नियम विरूद्ध वन भूमि को आवंटित किये जाने की ओर आदिम जाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री रामविचार नेताम, आदिम जाति विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

4. सदन को सूचना

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि-आज भोजन की व्यवस्था माननीय श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिये लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गयी है । कृपया, सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री संदीप साहू

(2) श्रीमती अनिला भेंड़िया

(3) श्री विनायक गोयल

(4) श्री कुंवर निषाद

(5) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह

6. प्रतिवेदन की प्रस्तुति
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तृतीय प्रतिवेदन

श्री विक्रम उसेण्डी, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 21 मार्च, 2025 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है:-

अशासकीय संकल्प क्र.	सदस्य का नाम	समय
1. (क्रमांक - 10)	श्री अजय चन्द्राकर	30 मिनट
2. (क्रमांक - 14)	श्री रिकेश सेन	30 मिनट
3. (क्रमांक - 11)	श्री अजय चन्द्राकर	30 मिनट
4. (क्रमांक - 33)	श्री धर्मजीत सिंह	30 मिनट

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्रीमती कविता प्राण लहरे

(2) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा

(3) श्री लालजीत सिंह राठिया

(4) श्रीमती चातुरी नंद

(5) सुश्री लता उसेण्डी

(6) श्री संदीप साहू

8.शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ श्रम कानून संशोधन और विविध प्रावधान विधेयक, 2025 (क्रमांक 10 सन् 2025)

श्री लखनलाल देवांगन, श्रम मंत्री ने छत्तीसगढ़ श्रम कानून संशोधन और विविध प्रावधान विधेयक, 2025 (क्रमांक 10 सन् 2025) पुर:स्थापित किया ।

(2) छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 12 सन् 2025)

श्री केदार कश्यप, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 12 सन् 2025) पुर:स्थापित किया ।

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से शासन की ओर से प्राप्त विधेयकों की सूचना पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु उसके समक्ष अंकित समय निर्धारित किया, जो इस प्रकार है :-

(1)	छत्तीसगढ़ श्रम कानून संशोधन और विविध प्रावधान विधेयक, 2025 (क्रमांक 10 सन् 2025)	30 मिनट
(2)	छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 12 सन् 2025)	15 मिनट

(3) छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2025 (क्रमांक 4 सन् 2025)

श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि-छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2025 (क्रमांक 4 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री अजय चन्द्राकर,

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री उमेश पटेल, राजेश मूणत,

(सभापति महोदया (सुश्री लता उसेण्डी) पीठासीन हुईं।)

9.सदन को सूचना

मानननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि- षष्ठम् विधान सभा के माननीय सदस्यों की परिचयात्मक जानकारियों पर केन्द्रित प्रकाशन **"सदस्य परिचय, छत्तीसगढ़ विधान सभा (षष्ठम)"** की प्रति समस्त माननीय सदस्यों को **'सूचना कार्यालय'** से वितरित की जा रही है। कृपया आप सभी अपनी प्रति प्राप्त करें।

10.शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

सर्वश्री दलेश्वर साहू, धरमलाल कौशिक

11.सदन को सूचना

(1) माननीय सभापति ने कथन किया कि विनियोग विधेयक पर विचार एवं पारण हेतु सायं 5 बजे तक का समय निर्धारित है। चूंकि विनियोग विधेयक पर चर्चा चल रही है। अत: विनियोग विधेयक पर चर्चा पूर्ण होने के उपरांत विनियोग विधेयक के पारण का कार्य किया जायेगा। मैं समझती हूं कि सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

(2) भारतीय प्रबंध संस्थान (आई.आई.एम.) रायपुर द्वारा दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि- भारतीय प्रबंध संस्थान (आई.आई.एम.) अटल नगर, नवा रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा के समस्त माननीय सदस्यों हेतु शनिवार, दिनांक 22 एवं रविवार, दिनांक 23 मार्च, 2025 को दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पत्रक भाग-दो द्वारा कार्यक्रम की सूचना दी गई है । आप समस्त माननीय सदस्यों से पुन: आग्रह है कि कृपया प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित हों।

12.शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री धर्मजीत सिंह, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल,

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

सर्वश्री किरण देव, अमर अग्रवाल

डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष

(सभापति महोदया (सुश्री लता उसेण्डी) पीठासीन हुईं।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2025 (क्रमांक 4 सन् 2025) पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(4) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 3 सन् 2025)

श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि- छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 3 सन् 2025) पर विचार किया जाए एवं संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष ने चर्चा में भाग लिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 3 सन् 2025) पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(5) छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 6 सन् 2025)

श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (गृह) ने प्रस्ताव किया कि- छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 6 सन् 2025) पर विचार किया जाए ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री धरमलाल कौशिक, दलेश्वर साहू

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)

श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (गृह) ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 से 3 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (गृह) ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 6 सन् 2025) पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(6) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 7 सन् 2025)

श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि- छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 7 सन् 2025) पर विचार किया जाए एवं संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 7 सन् 2025) पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(7) भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 8 सन् 2025)

श्री ओ.पी.चौधरी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि- भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 8 सन् 2025) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री अमर अग्रवाल, सदस्य ने चर्चा मे भाग लिया ।

श्री ओ.पी.चौधरी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 3 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री ओ.पी.चौधरी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 8 सन् 2025) पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(8) छत्तीसगढ़ आकास्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 11 सन् 2025)

श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि-छत्तीसगढ़ आकास्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 11 सन् 2025) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री अमर अग्रवाल, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ आकास्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 11 सन् 2025) पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

रात्रि 9.09 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 21 मार्च, 2025 (फाल्गुन-30, शक संवत् 1946) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा